

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या:-3960/सेक-2-पांच-16-6(63)/12
लखनऊ: दिनांक : 30 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप


डा0 निर्मल कुमार श्रीवास्तव (वरि0क0-6498), संयुक्त निदेशक, कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-21323/2012 डा0 निर्मल कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1फ/649/88/5822 दिनांक 02.11.2016 एवं राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति दिनांक 30.06.2016 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 के प्रावधानों के अन्तर्गत डा0 निर्मल कुमार श्रीवास्तव को आदेश संसूचित होने की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति एतद्वारा प्रदान करते हैं।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या-3960(1)/सेक-2-पांच-16, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक (पेंशन), पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, इन्दिराभवन, लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 6- डा0 निर्मल कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 7- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।